न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाडा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 32/2023

रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/38

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. कोमल पुत्र श्री धनपालजी मैसर्सः– अतिशेय एण्टरप्राइजेज, भारत पेट्रोल पम्प के पास, बांसवाडा रोड, घाटोल, बांसवाडा
2. Rimal Kataria m/s- Kataria Enterprise, Rau-Pithampur Link Road, Bhaislay Indore (MP) 453332
3. Rachna Joshi (Nominee) m/s- Balaji Wafers Private Limited, Ta-Vajdi (Vad) Kalwad Road, Ta-Lodhika Distt.- Rajkot (Gujraat) 360021

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 04.07.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज.) के द्वारा दिनांक 17–03–2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 25–08–2022 को 12.15 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु मैसर्स – अतिशेय एण्टरप्राइजेज, भारत पेट्रोल पम्प के पास, बांसवाडा रोड, घाटोल पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर कोमल पुत्र श्री धनपालजी उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स सुनील किराणा स्टोर, मैन रोड, बस स्टैण्ड आंबापुरा, बांसवाडा का निरीक्षण करने पर **Masala Chana (Brand- Balaji)** के 5 पैक कर्टन जो आम जनता को खाद्य सामग्री विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति मे फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **Masala Chana (Brand- Balaji)** के 80 पैक पैकेट वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 400 रु. विक्रेता को [illegible] कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के [illegible] तसदीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **Masala Chana (Brand- Balaji)** [illegible] के पैकेट के चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये [illegible] एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1174** लिखा व नमूने का विवरण [illegible] किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela

Date: 2023.07.11 13:23:19 IST

Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी (अति.जिला कलेक्टर) [illegible] (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/276–77 दिनांक 08–09–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 747 दिनांक 07–09–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Masala Chana (Brand- Balaji)**का नमुना कोड क्रमांक **W-1174 Nutritional value not given as per given Declaration, Violate regulation No. 5(3) under food safety and standards (Labelling and Display) Regulation 2020 Hence it's a Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006** पाया गया। विक्रेता द्वारा **Masala Chana (Brand- Balaji)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 20–03–2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 25.04.2023 को अप्रार्थीगणो की ओर से श्री हरिविष्णु पुरोहित, श्री कौशिक आमेटा का अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ।

दिनांक 04–07–2023 को अप्रार्थीगणो के अभिभाषक ने अप्रार्थीगणो की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे अप्रार्थी सं. 1 को अप्रार्थी सं. 3 की ओर से बालाजी वेफर प्राईवेट लि. ने अधिकृत कर अथोरिटी पत्र जारी किया जो संलग्न किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/276–77 दिनांक 08–09–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 747 दिनांक 07–09–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Masala Chana (Brand- Balaji)**का नमुना कोड क्रमांक **W-1174 Nutritional value not given as per given Declaration, Violate regulation No. 5(3) under food safety and standards (Labelling and Display) Regulation 2020 Hence it's a Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006** पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त [illegible] स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 13:23:19 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf) के तहत मिसब्राण्डेड **Masala Chana (Brand- Balaji)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **कोमल पुत्र श्री धनपालजी मैसर्सः– अतिशेय एण्टरप्राइजेज, भारत पेट्रोल पम्प के पास, बांसवाडा रोड, घाटोल, बांसवाडा, को रूपये 10000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र),** Rimal Kataria m/s- Kataria Enterprise, Rau-Pithampur Link Road, Bhaislay Indore (MP) 453332 **को रूपये 15000/– (अक्षरे रू पन्द्रह हजार मात्र),** Rachna Joshi (Nominee) m/s- Balaji Wafers Private Limited, Vajdi (Vad) Kalwad Road, Ta- Lodhika Distt.- Rajkot (Gujraat) 360021 **को रूपये 20000/– (अक्षरे रू बीस हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 13:23:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner